कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर वनगण्डल (अलीराजपुर म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा ,बड़ौदा रोड़, अलीराजपुर–457887
Tel & Fax No. 07394-234530
E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 4275
प्रति,

अलीराजपुर दिनांक : 28-08-25

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र उमराली / मथवाड़

विषय :– नर्मदा नदी के तट के दोनो और 5–5 कि.मी. की परिधी में अतिक्रमित वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :–
1) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / FOR/0667/2025/10-3 दिनांक 21-08-2025
2) मुख्य वन संरक्षक इन्दौर का पत्र क्रमांक / तकनीकी / 25 / 5301 दिनांक 14.08.2025

— ★ —

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार वन विभाग द्वारा नदी के कटाव को रोकने हेत, जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नदी के दोनो तटों की ओर पौधारोपण, भू–जल संरक्षण एवं वन संरक्षण कार्य वन समितियों की भागीदारी से किए जा रहे है।

नर्मदा नदी के तट के दोनो और 5–5 कि.मी. की परिधी में अतिक्रमित वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमित वनभूमि की पहचान कर प्लान तैयार करे तथा अवैध रूप से प्राप्त वन अधिकार पत्रों की जॉच कर जानकारी इस कार्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि अतिक्रमित वन भूमि को टॉस्क फोर्स टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। ताकि अतिक्रमण पश्चात उक्त वनभूमि पर अन्य वानिकी कार्य प्रस्तावित किये जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

पृष्ठ क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 4276
प्रतिलिपिः–

अलीराजपुर दिनांक : 28-08-25

1. उप वनमण्डलाधिकारी अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल अलीराजपुर

D:\letter 20253.docx

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/**FOR/0667/2025/10-3** भोपाल,दिनांक:**21-08-2025**

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
मध्यप्रदेश।

विषय:-नर्मदा नदी के तट के दोनों ओर **5-5** किमी की परिधि में अतिक्रमित वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवनदायनी नदी है जो प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरती है। यह नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकली है अपितु सदानीरा नर्मदा अपने जलग्रहण क्षेत्र में पाये जाने वाले वनों से वर्ष भर जल प्राप्त कर सतत प्रवाहित हो रही है। नर्मदा नदी को सदानीरा बनाए रखने व संरक्षित करने के लिये 'अविरल निर्मल नर्मदा अभियान' सहित कई अभियान चलाये जा रहे है। उक्त के अनुक्रम में वन विभाग द्वारा भी नदी के कटाव को रोकने, जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नदी के दोनों तटों की ओर पौधरोपण, भू-जल संरक्षण एवं वन संरक्षण कार्य वन समितियों की भागीदारी से किए जा रहे हैं। इस अभियान को सफल करने हेतु नर्मदा नदी के तट के दोनों तरफ वर्ष **2005** के बाद के वन भूमि के समस्त अतिक्रमणों को रिक्त कराया जाना आनिवार्य है।

2/ नर्मदा नदी के तट के दोनों तरफ **5-5** किलोमीटर के दायरे में **13/12/2005** के बाद के वन भूमि के समस्त अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर प्राथमिकता से अतिक्रमण निरोधी अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाये। उक्त अतिक्रमणों को चिन्हित करने हेतु अन्य माध्यमों के साथ-साथ सेटेलाईट इमेजरी का उपयोग वश्य किया जाये।

3/ उक्त अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया हो तो उसे बारिश के बाद हटाकर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाये।

4/ इस अभियान को सफल बनाने हेतु जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से

आवश्यक सहयोग भी लिया जाये।

उपरोकतानुसार अतिक्रमण निरोधी अभियान में की गयी कार्यवाही से प्रतिमाह की **10** तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजा जावे।

Digitally signed by
ASHOK BARNWAL
Date: 21-08-2025
19:10:45

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक/**FOR/0667/2025/10-3** भोपाल,दिनांक:**21-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1.समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
2.समस्त कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
3.समस्त वनमण्डलाधिकारी मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner